MESSAGE FROM LOK SABHA

Taxation Laws (Amendment) Bill, 2019

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Taxation Laws (Amendment) Bill, 2019, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 2nd December, 2019.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of Article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

REPORT OF THE COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

DR. C.P. THAKUR (Bihar): Sir, I present the 158th Report (in English and Hindi) of the Committee on Papers Laid on the Table, on 'Laying of Annual Reports and Audited Accounts of Central Council for Research in Yoga and Naturopathy (CCRYN) and Bureau of Indian Standards (BIS)'.

REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं विभाग संबंधित कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं:-

(i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के 'राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2019' पर पहला प्रतिवेदन;

(ii) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) के "आईसीएआर-राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल - कार्य निष्पादन समीक्षा" विषय पर चौंसठवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समुक्तियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में दूसरा प्रतिवेदन;

(iii) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की "अनुदान मांगों (209-20)" पर तीसरा प्रतिवेदन; और

(iv) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी (पशुपालन और डेयरी विभाग) मंत्रालय की "अनुदान मांगों (209-20)" पर चौथा प्रतिवेदन।

STATEMENT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की "अनुदान मांगों (2016-17)" पर तेईसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समुक्तियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में इकतीसवें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले विभाग संबंधित कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति के विवरण की एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं।

श्री सभापति : मैं जानना चाहता हूं कि प्रतिवेदन और वक्तव्य में क्या कुछ फर्क होता है? पहले वाला प्रतिवेदन था और दूसरे वाला 'Statement of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Agriculture' था। यहां हिन्दी का विद्वान कौन है? प्रतिवेदन और वक्तव्य में क्या फर्क है? डा. सत्यनारायण जटिया जी, आप बताएं।

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश): सर, प्रतिवेदन का अर्थ Report है और वक्तव्य का अर्थ Statement है।

श्री सभापति: ठीक है। कैलाश सोनी जी, आपने पहले प्रतिवेदन और उसके बाद वक्तव्य, दोनों पढ़ दिए हैं न?

श्री कैलाश सोनी: जी हां, सर।

REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS

सुश्री सरोज पाण्डेय (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं "भारतीय रेल में पुलों का अनुरक्षण: एक समीक्षा" विषय पर विभाग संबंधित रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के तेईसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में उक्त समिति (2019-20) (सत्रहवीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखती हूँ।